सं. ई–11011/29/2013–हिन्दी
भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

11वां तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ. परिसर, लोदी रोड़,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 11 सितम्बर, 2013

सेवा में,

सचिव,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
5वां तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली

विषयः 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया दिनांक 31.07.2013 के अपने पत्र संख्या 29–1/2013–हिंदी का अवलोकन करें, जिसके साथ उक्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट भेजी गई है। मंत्रालय में आपके कार्यालय की 30 जून, 2013 को समाप्त हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई है, जिसमें पाई गईं कमियों का विवरण इस प्रकार है :

1. आपके कार्यालय द्वारा धारा 3(3) के तहत 13 कागज़ात जारी किए गए जिनमें से कोई भी पत्र अंग्रेज़ी में जारी नहीं हुआ। धारा 3(3) के अनुपालन की यह स्थिति प्रशंसनीय है।

2. आपके कार्यालय में 295 पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए जिनमें से 24 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए जोकि राजभाषा नियम–5 का उल्लंघन है। संसदीय राजभाषा समिति इस उल्लंघन को गंभीरता से लेती है और निरीक्षण के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए, अतः भविष्य में यह बात सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम–5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

3. आपका कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित हैं। आपके कार्यालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों से प्राप्त क्रमशः 459 और 306 अंग्रेजी पत्रों में से 347 तथा 195 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं, स्थिति उत्तम है। कृपया प्रयास बनाए रखें।

4. आपके कार्यालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र के साथ मूल पत्राचार क्रमशः 70%, 61.20% और 62.56% हिंदी में किया गया है। प्रयास सराहनीय है, स्थिति बरकरार रखें।

5. आपके कार्यालय में 500 फाइलों में से 337 फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखी जा रही हैं। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आपके कार्यालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लक्ष्यानुसार ('क' क्षेत्र के लिए 75%, 'ख' क्षेत्र के लिए 50% तथा 'ग' क्षेत्र के लिए 30%) हैं। प्रयास सराहनीय है। कृपया स्थिति बनाए रखें।

6. उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार आपके कार्यालय में 12 शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें सभी बैठकों में वार्तालाप पूरी तरह हिंदी में हुआ। यह सराहनीय है। इसे बनाए रखें।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर मंत्रालय को भी की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया जाए।

भवदीया,

मैत्रेयी राय

(मैत्रेयी राय)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 24364316